AF

AAKHYAAN FOUNDATION

CHILD PROTECTION POLICY -2024

www.aakhyaanfoundation.org

बाल संरक्षण नीति

आख्यान फाउंडेशन हर बच्चे को हर प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करेगी, जिसमें मारपीट, गाली-गलौज, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न एवं यौनिक हिंसा भी शामिल होगी। परिचय शिव शिक्षा समिति के प्रत्येक सदस्य बाल अधिकारों की सुरक्षा करने, उन्हें संरक्षित करने एवं बाल उत्पीड़न से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

1. बच्चों को शोषण से बचाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता:

हमारे मूल्य, सिद्धांत एवं मान्यताएं:

- सभी बच्चों को शोषण एवं उत्पीड़न से अपनी सुरक्षा करने का समान अधिकार है।
- बच्चों का शोषण अस्वीकार्य है।
- जिन बच्चों के साथ/के लिए हम काम कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षा देना हमारी प्रतिबद्धता है।

2. हम क्या करेंगे?

हम निम्नलिखित माध्यमों द्वारा बच्चों को सुरक्षा देने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेंगे:

जागरूकता: हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्यकर्ता एवं अन्य लोग बच्चों के शोषण की समस्या से अवगत हों एवं उससे होने वाले खतरों को समझ सकें।

बचाव: जागरूकता एवं अच्छी आदतों के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्यकर्ता एवं अन्य लोग बच्चों पर होने वाले खतरों को कम कर सकें।

रिपोर्टिंग: हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्यकर्ता एवं अन्य लोगों में यह समझ हो कि बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने हैं।

जवाबदेही: हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों के साथ शोषण होने की स्थिति में उन्हें सुरक्षा एवं सहयोग देने में उचित मदद एवं कार्यवाही की जाए।

उपरोक्त दिए गए रिपोर्टिंग एवं जवाबदेही के मानकों को पूरा करने के लिए आख्यान फाउंडेशन के सदस्य निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेंगे:

- सभी उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेना।
- बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाना।
- बच्चों, कार्यकर्ताओं एवं अन्य लोगों को जो इन मुद्दों को उठाते हैं और जो इसकी विषयवस्तु हैं, उन्हें सहयोग प्रदान करना।
- किसी भी प्रकार की जांच-पड़ताल की प्रक्रिया में प्रभावी रूप से मिल-जुल कर सहयोग करना।
- बच्चों की इच्छाओं एवं विचारों को सुनना एवं उन्हें गंभीरता से लेना। 'बच्चों की इच्छाओं' के सिद्धांत पर कार्य करना।
- बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने में माता-पिता, अभिभावकों एवं अन्य विशेषज्ञों के साथ साझेदारी में काम करना।

विधि संचालनः आख्यान फाउंडेशन के कार्यकर्ता इन विधि संचालनों पर अपने हस्ताक्षर कर इसे लागू करने का संकल्प लें क्योंकि यह अनिवार्य है। कार्यकर्ता एवं अन्य लोग कभी भीः

- किसी भी बच्चे को शारीरिक रूप से उत्पीड़ित न करें, न ही उन्हें मारें या उनका शोषण करें।
- बच्चों के साथ शारीरिक, यौन संबंध नहीं बनाएं एवं बच्चों को अन्य लोगों की नजर से दूर अकेले में न रखें।
- बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार न करें जो उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास को रोके।
- बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता न बनाएं जो शोषण या उत्पीड़न का संकेत दे।
- बच्चों के साथ दुर्व्यवहार न करें या उन्हें ऐसी स्थिति में न रखें जहां उन्हें खतरा हो।
- ऐसी भाषा, सुझाव या सलाह न दें जो बच्चों के लिए हितकर न हो।
- किसी बच्चे को रात को अपने घर में बिना देखरेख के न रखें और न ही एक ही कमरे या बिस्तर पर सोएं।
- बच्चों के साथ गलत व्यवहार होते देख चुप न रहें, उसे रोकें और तुरंत कार्यवाही करें।
- बच्चों के लिए व्यक्तिगत स्तर पर वह काम न करें जिसे वे अपने आप कर सकते हैं।
- बच्चों की असुरक्षित एवं गलत, आपराधिक व्यवहार में न तो भाग लें और न ही उन्हें क्षमा करें।
- बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार न करें जो उन्हें नीचा दिखाने, मखौल उड़ाने, या शर्मिंदगी का अहसास दिलाने वाला हो और न ही उनके साथ मानसिक शोषण करें।
- बच्चों के साथ भेदभाव, अलग तरह का व्यवहार या किसी विशेष बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार और बाकी को वंचित न करें।

यह सूची अपने आप में पर्याप्त नहीं है। मूल सिद्धांत यह है कि कार्यकर्ता ऐसी गतिविधि या व्यवहार न करें जो गलत आदतों एवं शोषण से युक्त हो।

सभी कार्यकर्ताओं एवं अन्य व्यक्तियों के लिए बच्चों से निरंतर संपर्क आवश्यक है ताकिः

- वे वर्तमान खतरों की परिस्थिति से अवगत हो सकें और उसका सामना कर सकें।
- खतरों को अपने कार्य एवं कार्यस्थल पर कम करने के लिए योजना बना सकें एवं उन्हें व्यवस्थित कर सकें।
- यदि कोई बच्चा अपनी पहचान छुपाना चाहता है तो उसकी पहचान को सार्वजनिक न करें।
- ऐसा वातावरण सुनिश्चित करें जहां किसी भी मुद्दे या विषय को खुलकर उठाया जा सके और उस पर चर्चा की जा सके।

ध्यान देने योग्य बाल सुरक्षा के मुख्य बिंदु -

- बच्चों से नशीले पदार्थ नहीं मंगवाएं और न ही उनके सामने सेवन करें।
- बच्चों को अश्लील चित्र एवं साहित्य नहीं दिखाएं और न ही उनके सामने अश्लील मजाक करें।
- बच्चों की बात को ध्यान से सुनें और उचित जवाब दें।
- बच्चों को किसी भी प्रकार से डराएं नहीं।
- बाल विवाह न करें और न ही उसमें भाग लें।
- बच्चों से संबंधित निर्णय लेते समय उनकी राय जानें।
- बच्चों की गलत आदतों पर नजर रखें, जैसे गुटखा खाना, गाली देना आदि।
- लड़के और लड़कियों में भेदभाव न करें (लैंगिक एवं जातिगत भेदभाव)।
- जातिगत सूचक शब्दों का प्रयोग न करें।
- बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को नजरअंदाज न करें।
- बच्चों से जबरदस्ती कार्य न करवाएं।
- बच्चों को सुनसान एवं खतरनाक जगहों पर अकेले न भेजें।
- बच्चों के स्वास्थ्य की जांच समय-समय पर करवाते रहें।
- प्रत्येक घर में प्राथमिक उपचार पेटिका रखें।